न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम् सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कैमूर (भभुआ)
उपस्थित–प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वितीय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–462/2026
चैनपुर थाना काण्ड संख्या–85/2026
पप्पु खाँ बनाम् राज्य सरकार
आदेश की तिथि–26.05.2026

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कैमूर (भभुआ)।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 462/2026

चैनपुर थाना काण्ड संख्या–85/2026

पप्पु खाँ, उम्र लगभग–50 वर्ष,
पिता– हफीज खाँ
निवासी ग्राम–सिकंदरपुर, थाना–चैनपुर, जिला–कैमूर।
----------आवेदक

बनाम

बिहार सरकार
----------विपक्षी

आवेदक की ओर से :– श्री अंशु तिवारी, विद्वान अधिवक्ता
सूचिका की ओर से :– श्री सोनु कुमार ओझा, विद्वान अधिवक्ता
सरकार की ओर से :- श्री शशिभूषण पाण्डेय, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
आदेश की तिथि : 26.05.2026

उपस्थिति : प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वितीय,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
कैमूर (भभुआ)।

1. अग्रिम जमानत आवेदन आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। सूचिका की हाजिरी दी गयी है। सूचिका की तरफ से नवीन वकालतनामा भी दाखिल किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा दिनांक 01.05.2026 तक की कांड दैनिकी समर्पित की गयी है। अग्रिम जमानत आवेदन पर सूचिका के विद्वान अधिवक्ता सोनु कुमार ओझा एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना।
2. अपने अग्रिम जमानत आवेदन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशु तिवारी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान वाद सूचिका के लिखित आवेदन पर दर्ज किया गया है, जिसमें सूचिका ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी पुत्री को दिनांक 15.02.2026 को ग्राम–चक, थाना–धरौली, जिला–चंदौली(यू0पी) उसके बुआ के घर छोड़कर आयी थी। दिनांक 01.03.2026 को आवेदक एवं अन्य लोगों के द्वारा उनकी लड़की का अपहरण कर लिया गया। सूचिका द्वारा यह प्राथमिकी आवेदक एवं अन्य लोगो के विरुद्ध दर्ज किया गया है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक के द्वारा इसके पूर्व न तो कोइ नियमित जमानत आवेदन या न कोई अग्रिम जमानत आवेदन इस

न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक का पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। सूचिका द्वारा जैसा कहा गया है, वैसी कोई घटना नहीं घटी है। आवेदक को इस वाद में गंदी ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है। उक्त सभी घटना ग्राम–चक, थाना–धरौली में घटी है, परंतु सूचिका द्वारा धरौली थाना में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदक न्यायालय के आदेशानुसार बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को गिरफतार होने या न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की स्थिति में आवेदक जमानत आवेदन पर मुक्त करने की कृपा किया जाए।

3. सूचिका के विद्वान अधिवक्ता श्री सोनु कुमार ओझा निवेदन करते हैं कि सह अभियुक्त के द्वारा घटना कारित किया गया है, आवेदक पर पीड़िता के अपहरण के षड्यंत्र में शामिल होने का सीधा आरोप है। अतः आवेदक अग्रिम जमानत आवेदन पर मुक्त होने का हकदार नही है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री शशि भूषण पाण्डेय जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन करते हैं कि आवेदक के उपर पीड़िता के अपहरण के षड्यंत्र में सह अभियुक्त के साथ शामिल होने का सीधा आरोप है। अतः आवेदक अग्रिम जमानत आवेदन पर मुक्त होने का हकदार नही है।

5. उभयपक्ष को सुना। अग्रिम जमानत आवेदन के अभिलेख के साथ चैनपुर थाना कांड संख्या–85/2026 सूचिका के लिखित आवेदन पर दर्ज किया गया है। अपने आवेदन में सूचिका ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी पुत्री को दिनांक 15.02.2026 को ग्राम–चक, थाना–धरौली, जिला–चंदौली(यू0पी) उसके बुआ के घर छोड़कर आयी थी। दिनांक 21.02.2026 के शाकिर खॉ एवं अन्य लोगों के द्वारा उनकी पुत्री का षड्यंत्र के तहत शादी की नियत से अहपहरण कर लिया गया है। शाकीर खाँ के द्वारा पूर्व में भी उनकी पुत्री को बहला–फुसलाकर ले जाया गया है। अनुसंधान के कम में अनुसंधानकर्ता द्वारा वादिनी का पुर्नबयान एवं अन्य साक्षियों का बयान दर्ज किया गया है। वादिनी एवं अन्य साक्षी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। घटना थाना–धरौली में हुआ है जहां पीड़िता के बुआ के होने की बात बतायी गयी है। अनुसंधान के कम में पीड़िता की धारा–180 एवं 183 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया है। पीड़िता ने धारा–183 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत बयान में कहा है कि वह दिनांक 21.02.2026 को अपने घर से बिना किसी को बताये शाकीर खान के साथ हैदराबाद चली गयी थी। वह उसके गांव का रहने वाला है। लगभग दो साल से वह उससे बात करती है। हैदराबाद में लाल पहाड़ पर दोनो रहे थे। वह शाकीर खॉन से शादी कर ली थी। फिर वह

शाकीर के साथ नागपुर गयी और कमरा लेकर पांच–छह दिन रही और फिर वापस आ गयी। शाकीर उसके बुआ के घर आये थे तो पुलिस उसे पकड़ ली। वह पहले भी उसके साथ गयी थी। पीड़िता के बयान से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा पीड़िता को बहला–फुसलाकर नहीं ले जाया गया है। अभिलेख पर आवेदक के द्वारा पीड़िता को बहला–फुसलाकर ले जाने के षड्यंत्र में शामिल हाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक पर साक्षियों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, जिसकी कोई तिथि अंकित नहीं की गयी है। उक्त अपराध जमानतीय प्रकृति का है।

6. अतः आवेदक **के उपर लगाये गए आरोप की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों एवं परिसिथितयों को ध्यान में रखते हुए आवेदक पप्पु खाँन का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।** आदेश पारित करने की तिथि से 60 दिनों के अंदर आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस के द्वारा गिरफतार करने की स्थिति में एवं आवेदक के द्वारा पंद्रह हजार रूपये का बंधपत्र के साथ समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर, आवेदक पप्पु खाँ को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आवेदक धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिये गए प्रावधानों के आलोक में शपथपत्र दाखिल करें।

7. कार्यालय आदेश की प्रति को विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कर संबंधित न्यायालय में भेजें तथा इस अभिलेख को नियमानूसार अभिलखागार मे जमा करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(प्रमोद कुमार पाण्डेय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनिय,
कैमूर (भभुआ)।

Date of Judgment / Order	26.05.2026
Date of reserving judgment / order	NA
Uploading date	27.05.2026
Uploaded by	Neha Kumari (Steno)